न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट), कोर्ट नं० 4, लखीमपुर–खीरी

अपराध संख्या–330/2006
धारा– 2/3 उ०प्र० गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986
थाना– मैलानी, जिला– खीरी

दिनांक–08.02.2024

पत्रावली प्रार्थना पत्र कागज संख्या ख 21/6 पर आदेश हेतु पेश हुई।

पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

अभियोजन की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अभियुक्त वेदप्रकाश उर्फ वेदू की जमानत निरस्त कर अभिरक्षा में लिये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन का संक्षेप में कथन है कि अभियुक्त द्वारा धारा 439 द०प्र०सं० में माननीय न्यायालय द्वारा इस शर्त के साथ जमानत स्वीकृत की गयी थी कि वह जमानत की शर्तों का उल्लंघन/दुरुपयोग नहीं करेगा परन्तु अभियुक्त वेद प्रकाश उर्फ वेदू के द्वारा जमानत की शर्तों का उल्लंघन करते हुए पुन अपराध कारित किया गया है। मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त वेद प्रकाश उर्फ वेदू को इस शर्त पर जमानत दी गयी थी कि वह पुनः किसी अन्य अपराध में संलिप्त नहीं होगा, परन्तु अभियुक्त द्वारा मु०अ०स० 130/20 धारा 60 (2) आबकारी अधि० व 272 भा०द०वि० थाना मैलानी, मु०अ०स० 157/20 धारा 60 (2) आबाकारी अधि० व 272 भा०द०वि० थाना मैलानी य मु0 अ 0 स 0 72/2021 धारा 60 (2) आब०अधि० थाना मैलानी में अवैध अपमिश्रित शराब बनाने व बेचने का जघन्य अपराध कारित कर पुन आपरधिक गतिविधियों में संलिप्त हुआ है ।

पत्रावली के अवलोकन से यह विदित है कि वेदप्रकाश उर्फ वेदू को अपराध संख्या 330/06 अन्तर्गत धारा 2/3 उ०प्र० गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम 1986 थाना मैलानी जिली खीरी के मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया गया था। अभियोजन की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त वेदप्रकाश उर्फ वेदू के द्वारा जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया गया है लेकिन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित जमानत आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय से जमानत आदेश पारित करते हुए कोई शर्त अभियुक्त पर अधिरोपित नही की गयी थी। इस प्रकार जब माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई शर्त अधिरोपित नही की गयी है, तब यह किस प्रकार माना जा सकता है कि अभियुक्त द्वारा जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। उपरोक्त समस्त विवेचना के अनुसार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439(2) भारतीय दण्ड संहिता निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियोजन की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज संख्या ख 21/6 अन्तर्गत धारा 439(2) भारतीय दण्ड संहिता निरस्त किया जाता है।

पत्रावली में आगे की कार्यवाही शेष नही है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(देवेन्द्र नाथ सिंह)
विशेष न्यायाधीश(गैंगेस्टर एक्ट)
कोर्ट नं० 4, लखीमपुर–खीरी